



Stop Corona:
Wash your hands
Wear Mask
Maintain Social Distance

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI: DELHI JAL BOARD
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (RR)
ROOM NO. 311-A, VARUNALAYA PHASE-II,
KAROL BAGH, DELHI-110005

No.DJB/F.1 (1)/DD(RR)/2023/ **D-169**

Dated :- **06-07-2023**

Please find enclosed herewith the copy of Gazette notification dated 27.06.2023 of Recruitment Rules for the post of **Senior Assistant** for necessary action and record.

Encl: As above


(JOGINDER SINGH)
DEPUTY DIRECTOR (RR)

DD(D): Alongwith copy of above said notification for the post of Senior Assistant for record and necessary action. In case of any discrepancy is found in the RRs, same may be intimated to this office.

Copy to:

1. Director (A&P): For kind information, please.
- ✓ 2. EE (EDP): Alongwith copy of above said notification for the post of Senior Assistant for uploading on website of Delhi Jal Board.

Addl. Chief Engineer (Project)-I
EDP Cell, Delhi Jal Board, GNCTD
Dy. No. **1413** dt. **06-07-23**
CS: 02/PMI

Prog I


06-07-2023
Ashok Kumar
Executive Engineer (EDP)


(JOGINDER SINGH)
DEPUTY DIRECTOR (RR)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27062023-246840
SG-DL-E-27062023-246840

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]	दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2023/आषाढ़ 6, 1945	[रा.रा.क्षे.वि. सं. 114
No. 198]	DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2023/ASHADHA 6, 1945	[N. C. T. D. No. 114

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जून, 2023

सं.फा. 16 (529)/स.वि./डब्ल्यू/2015/908.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (इ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 05.05.1981 की दिल्ली अधिसूचना संख्या फा० 09/19/81-एलएसजी/3513 के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में वरिष्ठ सहायक के पद की भर्ती पद्धति तथा पदोन्नति के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (I) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड 'वरिष्ठ सहायक' के पद के भर्ती तथा पदोन्नति विनियम, 2023 कहा जायेगा।
(II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** कोई भी व्यक्ति
- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
- (ख) जिसने जीवित पत्नी / पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
- शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव :-** इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

"अनुसूची"

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ सहायक
2.	पदों की संख्या	:	760 (2023) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ग"
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25,500-81,100 /- रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	कोई परिवीक्षा नहीं।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	पदोन्नति :- क. वरिष्ठता सह उपयुक्तता आधार पर ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19900 63200 /- रुपये) में अवर श्रेणी लिपिक / कनिष्ठ सहायक में से .75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत सेवा तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण करने वाले।

		<p>ख. ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 2 (19900- 63200/-रुपये) में कार्यरत कनिष्ठ सहायक (अवर श्रेणी लिपिक) में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 25 प्रतिशत चयन द्वारा</p> <p>टीप - जिन कनिष्ठों ने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ठ भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने ऐसे कनिष्ठों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जो ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके हैं।"</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>"ग" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ)</p> <p>1. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड - अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक राजस्व, दिल्ली जल बोर्ड - सदस्य</p> <p>3. सहायक आयुक्त (जल), दिल्ली जल बोर्ड - सदस्य</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राजेश कुमार, उप सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th June, 2023

No. 16(529)/UD/W/2015/908.—In exercise of the Powers conferred under clause (m) sub-section (2) of section 109 read with section 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Notification No. F 9/19/81-LSG-3513 dated 05th May 1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Delhi Water Board makes the Regulations for recruitment and promotion to the post of Senior Assistant in Delhi Water Board, are hereby published, namely:-

- Short title and commencement:-** (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board 'Senior Assistant' the Recruitment and Promotion Regulations, 2023.
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:-** The number of posts, classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications:-** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification:-** No person;
 - who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
 - who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to Relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post.	:	SENIOR ASSISTANT
2.	Number of Post.	:	760* (2023) * SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.
3.	Classification.	:	CATEGORY 'C'.
4.	Level in the pay matrix.	:	LEVEL 4 (RS.25500-81100) IN THE PAY MATRIX
5.	Whether selection or non-Selection post.	:	NON SELECTION
6.	Age limit for direct Recruits.	:	NOT APPLICABLE
7.	Educational and other qualification required for direct Recruits.	:	NOT APPLICABLE
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	:	NOT APPLICABLE
9.	Period of probation, if any.	:	NO PROBATION
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion / deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	:	BY PROMOTION
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	:	<p><u>PROMOTION:-</u></p> <p>A. 75% BY PROMOTION FROM AMONGST LDCs/ JR. ASSISTANT IN LEVEL-2 (RS. 19900-63200/-) OF PAY MATRIX WITH 8 YEARS OF REGULAR IN THE GRADE ON THE BASIS OF SENIORITY - CUM-FITNESS.</p> <p>SERVICE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS AND HAVE UNDERGONE FOR ONE WEEK TRAINING IN THE RELATED FIELD FROM DELHI JAL BOARD TRAINING INSTITUTE.</p> <p>B. 25% BY SELECTION ON THE BASIS OF LIMITED COMPETITIVE EXAMINATION FROM AMONGST JUNIOR ASSISTANTS (LDCs) WORKING IN LEVEL 2 (19900-63200/-) IN THE PAY MATRIX WITH 5 YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE.</p> <p>NOTE: WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING / ELEGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ ELEGIBILITY SERVICE BY MORE</p>

			THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ ELEGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG WITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING / ELEGIBILITY SERVICE.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	:	<p>CATEGORY 'C' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE</p> <p>(FOR CONSIDERING PROMOTION):</p> <p>1. DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL), DJB - CHAIRMAN</p> <p>2. DIRECTOR OF REVENUE, DJB - MEMBER</p> <p>3. ASSISTANT COMMISSIONER (WATER), DJB - MEMBER</p>
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment.	:	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY.

RAJESH KUMAR, Dy. Secy. (Water)